यातायात पुलिस जनपद बिजनौर

"बिजनौर पुलिस की अपील- ब्लाइंड स्पॉट को हल्के में न लें"

📢 बिजनौर पुलिस की अपील:-

"सड़क पर दिखने वाली हर चीज़ सुरक्षित नहीं होती, लेकिन जो दिखाई ही न दे – वो सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। कृपया ब्लाइंड स्पॉट को नजरअंदाज न करें, सतर्क रहें – सुरक्षित रहें"

🚘 क्या है ब्लाइंड स्पॉट?

ब्लाइंड स्पॉट वह क्षेत्र होता है जो वाहन चालक को उसके साइड मिरर और रियरव्यू मिरर में नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र में आने वाले वाहन, दोपहिया सवार या पैदल यात्री अगर समय पर नजर में न आएं, तो गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

⚠️ ब्लाइंड स्पॉट क्यों खतरनाक हैं?

- वाहन के पास चल रहे अन्य वाहन अचानक नजरों से ओझल हो सकते हैं।
- लेन बदलते समय या मुड़ते समय टक्कर का ख़तरा होता है।
- भारी वाहन (ट्रक, बस) के आसपास के ब्लाइंड स्पॉट बड़े और घातक होते हैं।
- दोपहिया, साइकिल सवार और पैदल यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा।

✅ सभी नागरिकों के लिए उपयोगी सुझाव:-

🚗 *कार और अन्य वाहन चालकों के लिए:-*

- अपने मिरर को सही एंगल पर सेट करें ताकि अधिकतम दृश्यता मिले।
- लेन बदलने या मुड़ने से पहले साइड देखना न भूलें।
- इंडिकेटर का समय पर प्रयोग करें।
- मिरर की नियमित सफाई और एंगल जांचें।

🛵 *दोपहिया सवारों के लिए:-*

- बड़े वाहनों के पास से दूरी बनाकर चलें।
- कभी भी किसी वाहन को बहुत करीब से ओवरटेक न करें।
- ड्राइवर की नजर में आएं – अगर आप उसे शीशे में नहीं देख पा रहे तो वह भी आपको नहीं देख सकता।

🚶 *पैदल यात्रियों के लिए:-*

- सड़क पार करते समय सावधानी बरतें, विशेषकर टर्न लेती गाड़ियों के पास।
- रात्रि में रिफ्लेक्टिव कपड़े या लाइट का उपयोग करें।
- किसी भी वाहन के बहुत पास चलने से बचें।

🚌 भारी वाहन चालकों के लिए विशेष ध्यान:-

- वाहन में अतिरिक्त साइड मिरर या कैमरा लगवाएं।
- रियर और साइड की ओर से आने वालों पर विशेष नजर रखें।
- टर्न लेते समय हॉर्न और इंडिकेटर दोनों का प्रयोग करें।

🚨 सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है।

"आपकी सतर्कता किसी की जिंदगी बचा सकती है। ब्लाइंड स्पॉट जैसे अदृश्य खतरों से निपटने के लिए जागरूक बनें और दूसरों को भी बनाएं"

📌 *#BijnorPolice | #BlindSpot | #RoadSafety | #TrafficAwareness*

पुलिस लाईन जनपद बिजनौर **दिनांक-03.05.2025**

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में आयोजित अन्तर्जनपदीय पुलिस बास्केटबाल एवं हैण्डबाल प्रतियोगिता बरेली जोन, बरेली वर्ष - 2025 का प्रथम दिन।

आज दिनांक 03 मई, 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में अन्तर्जनपदीय पुलिस बास्केटबाल एवं हैण्डबाल प्रतियोगिता (बरेली जोन – 2025) का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बरेली जोन के विभिन्न जनपदों की टीमों के बीच पहले दिन हुए मुकाबले अत्यंत रोमांचक, प्रतिस्पर्धात्मक और खेल भावना से परिपूर्ण रहे।

पुरूष बास्केटवॉल:-

➡ बास्केटबाल का प्रथम मैच जनपद मुरादाबाद एवं रामपुर के बीच खेला गया,जिसमें जनपद मुरादाबाद ने विजय प्राप्त की।

➡ दूसरा मैच बरेली एवं सम्भल के बीच खेला गया, जिसमें जनपद बरेली ने विजय प्राप्त की।

➡ तीसरा मैच जनपद अमरोहा एवं बदायू के बीच खेला गया, जिसमें जनपद बदायू ने विजय प्राप्त की।

➡ चौथा मैच जनपद पीलीभीत एवं जनपद शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें जनपद शाहजहांपुर ने विजय प्राप्त की।

महिला बास्केटबाल:-

➡ बास्केटबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर एवं जनपद शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें जनपद शाहजहांपुर ने विजय प्राप्त की।

पुरुष हैण्डबाल:-

➡ हैण्डबाल का प्रथम मैच जनपद मुरादाबाद एवं शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें जनपद शाहजहांपुर की टीम ने 12-02 से विजय प्राप्त की।

➡ दूसरा मैच जनपद बदायू एवं जनपद पीलीभीत की बीच खेला गया, जिसमें जनपद बदायू की टीम ने 02-00 से विजय प्राप्त की।

➡ तीसरा मैच जनपद रामपुर एवं जनपद बरेली के बीच खेला गया, जिसमें जनपद बरेली ने 04-02 से विजय प्राप्त की।

➡ चौथा मैच जनपद अमरोहा एवं जनपद सम्भल के बीच खेला गया, जिसमें जनपद अमरोहा ने 03-02 से विजय प्राप्त की।

➡ पांचवॉ मैच जनपद बरेली एवं जनपद बिजनौर के बीच खेला गया, जिसमें जनपद बिजनौर ने 13-01 से विजय प्राप्त की।

प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 03.05.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 06 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 51,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:–

दिनांक 21.11.2024 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त संजय उर्फ गांधी पुत्र मंगत सिंह उर्फ मंगते निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी की भांजी के साथ गलत कार्य किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 566/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.05.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त संजय उर्फ गांधी पुत्र मंगत सिंह उर्फ मंगते निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को धारा 06 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व कुल 51,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

संजय उर्फ गांधी पुत्र मंगत सिंह उर्फ मंगते निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना मण्डावली दिनांक- 03.05.2025

थाना मण्डावली पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण-

थाना मण्डावली पुलिस ने अभियुक्त फरमान पुत्र ईस्माइल निवासी ग्राम सराय आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया । इस संबंध मे थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 49/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र इस्माइल निवासी ग्राम सराय आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 49/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
2. मु0अं0सं0 78/15 धारा 13 जी एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 34/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 21/2019 धारा 380/457/511 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी अंकुर कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नांगल **दिनांक- 03.05.2025**

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 57/2025 धारा 137(2)/64/87 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.04.2025 को वादी ने थाना नांगल पर तहरीर अभियुक्त अनिकेत उर्फ बुद्धु पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम करौली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 57/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक के दौरान धारा 64/87 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही का विवरण

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 57/25 धारा 137(2)/64/87 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अनिकेत उर्फ बुद्धु पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम करौली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनिकेत उर्फ बुद्धु पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम करौली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी प्रवीण चौहान थाना नांगल जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी रोहित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 03.05.2025**

थाना चांदपुर व हीमपुर दीपा पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड में हिस्ट्रीशीटर अपराधी को अवैध शस्त्र, घटना में प्रयुक्त सैट्रो गाडी व गौवंशीय अवशेष सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.05.2025 को थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता महजबी पत्नी मौ0 युसुफ निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 50 कि0ग्रा0 गौवंशीय मांस, एक तराजू मय लोहे के बाट, एक लकडी का गुटका, एक चापड व एक छुरी सहित गिरफ्तार किया गया था । इस संबंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 247/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 1- माजिद उर्फ भूरा पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2- साजिद पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए ।

कार्यवाही का विवरण -

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व थाना चांदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 247/25 धारा 3/5/8 गौवध में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में नहटौर रोड स्थित मसीज चौराहे पर थाना चांदपुर व थाना हीमपुर दीपा पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी । वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध सेट्रो गाडी (DL8CF8525) में सवार 04 व्यक्तियों द्वारा गाडी को बिना रोके तेजी से ग्राम मसीत की तरफ मोडते हुये भागने लगे । थाना चांदपुर व थाना हीमपुर दीपा पुलिस टीम द्वारा सेट्रो गाडी का पीछा किया गया तो गाडी में सवार व्यक्तियो द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो अभियुक्त साजिद पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा इसके 03 अन्य साथी रात्रि में खडी गन्ने की फसल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये । स्थानीय पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त साजिद उपरोक्त को उपचार हेतु सीएचसी स्याऊ में भर्ती कराया गया ।

अभियुक्त साजिद उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये । घटना में प्रयुक्त सेट्रो गाडी की तलाशी ली गयी तो गौवंशीय अवशेष बरामद हुये । अभियुक्त साजिद उपरोक्त ने अपने फरार साथियो के नाम 1- माजिद उर्फ भूरा पुत्र नसीम 2- फैसल पुत्र मुस्तकीम निवासी गण ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3- लईक पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हातमपुर उर्फ शेखपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर बताया, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है । इस संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त साजिद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने अन्य फरार साथियों 1- माजिद उर्फ भूरा 2- फैसल 3- लईक 4- महजबी पत्नी यूसुफ के साथ मिलकर जंगल से घुमंतू गोवंशीय पशुओं को पकड़ते थे और उनको अवैध रुप से काटकर

उनका गौवंशीय मांस को अभियुक्ता महजबी उपरोक्त को बिक्री के लिए देते थे। साथ ही पशुओ के अवशेषों को छिपाकर एकत्र किया जाता था, जिन्हे मौका मिलने पर नष्ट कर देते थे। दिनांक 02.05.2025 को अभियुक्ता महजबी के गौवंशीय मांस के साथ गिरफ्तार हो जाने के कारण रात्रि में साजिद और उसके तीनों साथी एकत्र हुए और पूर्व में छिपाए गए अवशेषों को सैंट्रो कार में रखकर ग्राम मसीत नहर की ओर नष्ट करने ले जा रहे थे।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार साजिद उपरोक्त थाना हीमपुर दीपा का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसका हिस्ट्रीशीट संख्या 112ए है। साजिद उपरोक्त के विरुद्ध थाना चांदपुर व थाना हीमपुर दीपा पर गौवध निवारण अधिनियम, आयुध अधिनियम सहित करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-

साजिद पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस 315 बोर
2- गौवंशीय अवशेष
3- घटना में प्रयुक्त सेट्रो गाडी।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1- माजिद उर्फ भूरा पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2- फैसल पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3- लईक पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हातमपुर उर्फ शेखपुरा थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त साजिद उपरोक्त (हिस्ट्रीशीटर अपराधी थाना हीमपुर दीपा)-

1- मु0अं0स0 124/16 धारा 323,504,506 भादावि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2- मु0अं0स0 59/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3- मु0अं0स0 17/23 धारा 147,148,332,353,336,323,504,506 भादावि व 7 क्रिमि0 एक्ट थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
4- मु0अं0स0 220/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5- मु0अं0स0 247/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6- मु0अ0सं0 249/25 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. श्री संजय कुमार तोमर थाना प्रभारी चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. श्री योगेश कुमार मावी थाना प्रभारी हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 भूषण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. उ0नि0 महेन्द्र सिंह नागर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
6. मुख्य आरक्षी विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7. आरक्षी सुधीर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
8. मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र चौहान थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
9. मुख्य आरक्षी दिनेश थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
10. आरक्षी अजयपाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
11. मुख्य आरक्षी चालक प्रकाशवीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
12. हो0गा0 प्रदीप थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
13. हो0गा0 धर्मेन्द्र थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।